बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या–6/एन–08–17/2016–116(6)/ पटना, दिनांक 15/02/2017

राज्य के निजी क्षेत्र में नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हेतु इच्छुक संस्थानों को राज्य सरकार से मान्यता/अनापति के लिए नये प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदन शुल्क एवं भूमि संबंधी मापदंड निम्नवत् निर्धारित किया जाता है –

1. आवेदन शुल्क –

क्र0सं0	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय	आवेदन शुल्क
01	ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालय	50,000 (पचास हजार रू0 मात्र)
02	जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान	50,000 (पचास हजार रू0 मात्र)
03	बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय	1,00,000 (एक लाख रू0 मात्र)
04	पोस्ट बेसिक नर्सिंग महाविद्यालय	1,00,000 (एक लाख रू0 मात्र)
05	एम0एस0सी0 महाविद्यालय	1,00,000 (एक लाख रू0 मात्र)

प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की राशि आवेदन समर्पित किये जाने के समय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नाम से देय होगी।

2. भूमि संबंधी मापदंड – नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आधार पर भूमि की उपलब्धता से संबंधित मापदंड निम्नवत् निर्धारित किया जाता है –

क्र0सं0	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय	भूमि की निर्धारित उपलब्धता
01	ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालय	80 (अस्सी) डिसमिल
02	जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान/ बी0एस0 सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय/पोस्ट बेसिक नर्सिंग महाविद्यालय/एम0एस0सी0 महाविद्यालय	150 (एक सौ पच्चास) डिसमिल

उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु भूमि संबंधी अभिलेख निबंधित होना चाहिए। लीज पर ली गयी भूमि मान्य नहीं होगी, केवल ट्रस्ट के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मानक के आधार पर ही निबंधित लीज मान्य होगी।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

15/2/17

(शंकर प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–6/एन–08–17/2016 116(6)/ पटना, दिनांक 15/02/2017

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री प्रसाद)/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त अधिसूचना को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/2/17

विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना